

माध्यमिक स्तर पर संचालित छात्रवृत्तियाँ

SCERT Uttarakhand

वर्ष 2019–20

- राष्ट्रीय प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति
(National Talent Search Scholarship)
- राष्ट्रीय साधन—सह—योग्यता छात्रवृत्ति
(National Means-Cum-Merit Scholarship)
- डॉ शिवानन्द नौटियाल छात्रवृत्ति
(Dr. Shivanand Nautiyal Scholarship)
- राज्य योग्यता (श्रीदेव सुमन) छात्रवृत्ति
(State Merit 'Sridev Suman' Scholarship)



राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् उत्तराखण्ड
रा०गा०न०वि० परिसर, तपोवन रोड ननूरखेड़ा, देहरादून
दूरभाष — 0135—2789655, 2789710 फैक्स — 2789656

राष्ट्रीय प्रतिभा खोज योजना (National Talent Search Scheme)

संचालन –

- राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (NCERT) द्वारा।

कुल छात्रवृत्तियाँ –

- राष्ट्रीय स्तर पर : **2000 छात्रवृत्तियाँ**

किस स्तर तक (अवधि) –

- योजना के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थी को पीएच.डी. स्तर तक के पाठ्यक्रम एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में द्वितीय डिग्री स्तर तक आयुर्विज्ञान और अभियांत्रिकी की पढ़ाई करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।
- छात्रवृत्ति की वर्तमान दर –
 - ✓ कक्षा 11 एवं 12 के लिए – ₹0 1250.00 (एक हजार दो सौ पचास रुपए) प्रति माह।
 - ✓ स्नातक एवं परास्नातक के लिए – ₹0 2000.00 (दो हजार रुपए) प्रति माह।
 - ✓ पीएच.डी.0 के लिए – ₹0 000.00 नियमों के अनुसार।

चयन प्रक्रिया –

- चयन हेतु दो स्तरों पर परीक्षा आयोजित की जाती है –
 - ✓ प्रथम चयन – राज्य स्तर पर एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा प्रथम चरण की परीक्षा का आयोजन किया जाता है। प्रथम चरण की राज्य स्तरीय छात्रवृत्ति चयन परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर वरीयता सूची के अनुसार राज्य से 79 छात्र-छात्राओं का चयन द्वितीय चरण की परीक्षा हेतु किया जाता है।
 - ✓ द्वितीय चयन – राष्ट्रीय स्तर पर एन0सी0ई0आर0टी0 नई दिल्ली द्वारा राज्य स्तर पर आयोजित प्रथम चरण की परीक्षा में चयनित 79 छात्र-छात्राओं द्वारा द्वितीय चरण की परीक्षा में प्रतिभाग किया जाता है।
- ✓

प्रथम चयन परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अर्हता –

- अभ्यर्थी राज्य में संचालित राजकीय, स्थानीय निकाय, राजकीय सहायता प्राप्त या मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में कक्षा 10 में संस्थागत छात्र-छात्रा के रूप में अध्ययनरत हो।
- अभ्यर्थी ने कक्षा 9 की वार्षिक परीक्षा न्यूनतम 60% (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 50%) अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो।
- अभ्यर्थी के माता-पिता या अभिभावक की आय सीमा का कोई प्रतिबंध नहीं है।
- शुल्क :—राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा हेतु राज्य के निजी विद्यालयों के अभ्यर्थियों हेतु परीक्षा शुल्क निम्नवत् निर्धारित है—
 1. सामान्य/अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु — ₹0 200.00 (रु0 दो सौ मात्र)
 2. एस0सी0/एस0टी0/दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु — ₹0 100.00 (रु0 एक सौ मात्र)
- शुल्क संयुक्त निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् उत्तराखण्ड, देहरादून के पक्ष में राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत रेखाकिंत बैंक ड्राफ्ट के रूप में होगा। बैंक ड्राफ्ट मूल रूप में आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

- आरक्षण :— वर्ष 2020 की राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा हेतु एन.सी.ई.आर.टी. के निर्देशानुसार अभ्यर्थियों के चयन में ओ०बी०सी०— 27%, एस.सी.—15% एस.टी.—7.5% एवं आर्थिक रूपसे पिछडे वर्ग हेतु—10% आरक्षण की व्यवस्था की गयी है। ओ०बी०सी० (Non creame layer) प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो एवं इसमें जाति/समुदाय का उल्लेख भी हो। ओ०बी०सी० प्रमाण पत्र में दी गयी जाति/समुदाय केन्द्र द्वारा उत्तराखण्ड हेतु निर्गत सूची में होनी आवश्यक है। केन्द्र द्वारा उत्तराखण्ड हेतु निर्गत ओ.बी.सी. जाति/समुदाय की जानकारी www.ncbc.nic.in से प्राप्त कर सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र न्यूनतम निर्गत अधिकारी (तहसीलदार) से हस्ताक्षरित ही मान्य होगा। आर्थिक रूपसे पिछडे वर्ग हेतु निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र। शारीरिक रूप से अक्षम आवेदकों के संदर्भ में जनपदीय चिकित्सा बोर्ड का प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
- राष्ट्रीय साधन—सह—योग्यता छात्रवृत्ति योजना (NMMSS), डॉ० शिवानन्द नौटियाल छात्रवृत्ति योजना, राज्य योग्यता छात्रवृत्ति योजना (श्रीदेव सुमन छात्रवृत्ति) परीक्षा के चयन में आरक्षण राज्य सरकार के निर्देशानुसार देय होगा।

राष्ट्रीय साधन—सह—योग्यता छात्रवृत्ति

(National Means-Cum-Merit Scholarship)

संचालन —

- मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा।

कुल छात्रवृत्तियाँ —

- | | | |
|---------------------------|---|------------------------|
| ➤ राष्ट्रीय स्तर पर | : | 100000 छात्रवृत्तियाँ. |
| ➤ उत्तराखण्ड राज्य के लिए | : | 1048 छात्रवृत्तियाँ. |

प्रत्येक जनपद की कक्षा 7 व 8 की छात्र संख्या एवं सम्बन्धित वय वर्ग की जनसंख्या के आधार पर छात्रवृत्तियों की संख्या निर्धारित की गई है। राज्य सरकार के आरक्षण नियमों के आधार पर आरक्षित वर्ग के लिए जनपदवार स्थान आरक्षित। राज्य स्तरीय छात्रवृत्ति चयन परीक्षा में प्राप्त अंकों एवं जनपदवार वरीयता सूची के आधार पर योग्य छात्र—छात्राओं का चयन।

किस स्तर तक — योजना के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों को —

- कक्षा 9 से कक्षा 12 तक (छात्रवृत्ति जारी रखने हेतु निर्धारित शर्तें पूर्ण करने पर)
- छात्रवृत्ति की वर्तमान दर — प्रति माह ₹0 1000.00 (एक हजार रुपए)
- छात्रवृत्ति का भुगतान राष्ट्रीयकृत बैंक की सी०बी०एस० शाखा में खुले बैंक खाते में त्रैमासिक रूप से।

चयन परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अर्हता —

- अभ्यर्थी राज्य में संचालित राजकीय, स्थानीय निकाय या राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं (केन्द्रीय व आवासीय विद्यालयों को छोड़कर) की कक्षा 8 में संस्थागत छात्र—छात्रा के रूप में अध्ययनरत हो।
- अभ्यर्थी ने कक्षा— 7 की वार्षिक परीक्षा न्यूनतम 55 % (आरक्षित वर्ग के लिए 50 %) अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो।
- आय सीमा— अभिभावक की वार्षिक आय ₹0 150000.00 (रुपए एक लाख पचास हजार) से अधिक न हो।
- राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति परीक्षा हेतु किसी भी प्रकार का शुल्क देय नहीं है।

छात्रवृत्ति जारी रखने के लिए अर्हता

- माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर (कक्षा 9 से 12 तक) छात्रवृत्ति अधिकतम् चार वर्षों के लिए देय। किसी भी डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्स के अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति देय नहीं है।

- छात्र/छात्रा ने कक्षा 8 की वार्षिक परीक्षा न्यूनतम 55% (आरक्षित वर्ग के लिए 50%) अंकों के साथ उत्तीर्ण कर उत्तराखण्ड राज्य में संचालित किसी राजकीय, स्थानीय निकाय या राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्था (आवासीय विद्यालयों को छोड़कर) में संस्थागत छात्र-छात्रा के रूप में कक्षा 9 में प्रवेश लिया हो।
- राजकोष से कोई अन्य छात्रवृत्ति न मिलती हो।
- छात्र/छात्रा का आचरण, अध्ययन रुचि तथा प्रगति सन्तोषजनक हो।
- छात्रवृत्ति जारी रखने हेतु कक्षा 9 एवं कक्षा 11 की परीक्षा में न्यूनतम 55% (आरक्षित वर्ग के लिए 50%) अंक प्राप्त करना तथा बोर्ड (कक्षा 10) परीक्षा में न्यूनतम 60% (आरक्षित वर्ग के लिए 55%) अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।
- छात्रवृत्ति किसी भी कारण (यथा अनुत्तीर्ण होने, विद्यालय छोड़ देने, निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत प्राप्त न करने आदि) से एक बार बन्द होने की स्थिति में पुनः किसी भी दशा में जारी नहीं होगी।

डॉ० शिवानन्द नौटियाल छात्रवृत्ति एवं राज्य योग्यता (श्रीदेव सुमन) छात्रवृत्ति योजना (Dr. Shivanand Nautiyal & State Merit (Sridev Suman) Scholarship Scheme)

संचालन –

- विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा।

कुल छात्रवृत्तियाँ –

- डॉ० शिवानन्द नौटियाल छात्रवृत्ति – 11 छात्रवृत्तियाँ,
(गढ़वाल मंडल हेतु 6 एवं कुमांय मंडल हेतु 5 छात्रवृत्तियाँ)
- राज्य योग्यता (श्रीदेव सुमन) छात्रवृत्ति – 475 छात्रवृत्तियाँ (**प्रत्येक विकास खण्ड के लिए 5 छात्रवृत्तियाँ**)।

राज्य स्तरीय छात्रवृत्ति चयन परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर डॉ० शिवानन्द नौटियाल छात्रवृत्ति हेतु मंडलवार वरीयता सूची के आधार पर सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं का चयन करने के पश्चात राज्य योग्यता छात्रवृत्ति हेतु विकासखण्डवार वरीयता सूची के आधार पर प्रत्येक विकास खण्ड से 5-5 छात्र/छात्राओं का चयन।

किस स्तर तक – योजना के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों को –

- कक्षा 9 से कक्षा 12 तक (छात्रवृत्ति जारी रखने हेतु निर्धारित शर्तें पूर्ण करने पर)।
- छात्रवृत्ति की वर्तमान दर –
 - ✓ डॉ० शिवानन्द नौटियाल छात्रवृत्ति – रु० 250.00 (दो सौ पचास रुपए) प्रतिमाह।
 - ✓ राज्य योग्यता छात्रवृत्ति – छात्रावासी के लिए रु० 200.00 (दो सौ रुपए) एवं अछात्रावासी के लिए रु० 150.00 (एक सौ पचास रुपए) प्रतिमाह।
- छात्रवृत्ति का भुगतान राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा में खुले बैंक खाते में दो किश्तों में।

चयन परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अर्हता –

- अभ्यर्थी राज्य में संचालित राजकीय, स्थानीय निकाय या राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं (केन्द्रीय व आवासीय विद्यालयों को छोड़कर) की कक्षा 8 में संस्थागत छात्र-छात्रा के रूप में अध्ययनरत हो।
- अभ्यर्थी ने कक्षा 7 की वार्षिक परीक्षा न्यूनतम 50% (आरक्षित वर्ग के लिए 40%) अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो।
- अभ्यर्थी के माता-पिता या अभिभावक की आय सीमा का कोई प्रतिबंध नहीं है।

छात्रवृत्ति जारी रखने के लिए अर्हता –

- माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर (कक्षा 9 से 12 तक) छात्रवृत्ति अधिकतम् चार वर्षों के लिए देय। किसी भी डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्स के अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति देय नहीं है।

- छात्र/छात्रा ने कक्षा 8 की वार्षिक परीक्षा न्यूनतम 50% (आरक्षित वर्ग के लिए 40%) अंकों के साथ उत्तीर्ण कर उत्तराखण्ड राज्य में संचालित किसी राजकीय, स्थानीय निकाय या राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्था (आवासीय विद्यालयों को छोड़कर) में संस्थागत छात्र-छात्रा के रूप में कक्षा 9 में प्रवेश लिया हो।
 - राजकोष से कोई अन्य छात्रवृत्ति न मिलती हो।
 - छात्रवृत्ति जारी रखने हेतु कक्षा 9 एवं कक्षा 11 की परीक्षा में न्यूनतम 50% (आरक्षित वर्ग के लिए 40%) अंक तथा बोर्ड (कक्षा 10) परीक्षा में न्यूनतम 55% (आरक्षित वर्ग के लिए 45%) अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।
 - छात्रवृत्ति किसी भी कारण (यथा अनुत्तीर्ण होने, विद्यालय छोड़ देने, निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत प्राप्त न करने आदि) से एक बार बन्द होने की स्थिति में पुनः किसी भी दशा में जारी नहीं होगी।
- **क्या आप जानते हैं—** छात्रवृत्ति परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के उपरान्त भी क्या क्या करते हैं ?
 छात्रवृत्ति जारी रखने के लिए निर्धारित अर्हता पूर्ण न कर पाना। (सम्बन्धित छात्रवृत्ति की अर्हताएं इस फोल्डर में छात्रवृत्ति जारी रखने के लिए अर्हता **शीर्षक** में उल्लिखित)
- ✓ एन.एम.एस.एस./डॉ.शिवानन्द नौटियाल एवं श्रीदेव सुमन छात्रवृत्ति जारी रखने के लिए राजकीय, स्थानीय निकाय या राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान से अन्य वित्त विहीन, असहायता प्राप्त विद्यालय में प्रवेश लेना एवं अध्ययनरत रहना।
 - ✓ छात्र-छात्राओं द्वारा छात्रवृत्ति प्राप्त न होने की सूचना एस.सी.ई.आर.टी.को विलम्ब से अग्रसारित करना।
 - ✓ निर्धारित समय पर विद्यालय स्तर से सत्यापन कार्य पूर्ण न होना।
 - ✓ जिला स्तर से सत्यापन कार्य का अनुश्रवण एवं प्रमाणीकरण न होना।
 - ✓ प्रधानाचार्यों का प्रक्रिया से अवगत न रहना।

छात्रवृत्तियों के सम्बन्ध में अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ

आवेदन पत्र कहाँ से प्राप्त करें –

- विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी अथवा मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय से।
- विद्यालयी शिक्षा विभाग की वेबसाइट **schooleducation.uk.gov.in, scert.uk.gov.in** से डाउनलोड किए जा सकते हैं।

आवेदन पत्र कहाँ जमा करें –

- पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र आवश्यक प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित अंतिम तिथि तक व्यक्तिगत रूप से सम्बन्धित विकास खण्ड के खण्ड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में।

आवेदन/परीक्षा शुल्क –

- किसी भी प्रकार का आवेदन/परीक्षा शुल्क देय नहीं है।

परीक्षा आयोजन तिथि –

- प्रथम चयन हेतु एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड द्वारा माह 03 नवम्बर, 2019 (रविवार) को।
- एन0टी0एस0एस0 द्वितीय चयन हेतु एन0सी0ई0आर0टी0 नई दिल्ली द्वारा 10 मई 2020 (रविवार) को।

• **परीक्षा केन्द्र –**

- प्रथम चयन परीक्षा हेतु प्रत्येक विकासखण्ड में एक परीक्षा केन्द्र।
- एन0टी0एस0एस0 द्वितीय चयन परीक्षा हेतु प्रत्येक राज्य में एक परीक्षा केन्द्र (केन्द्रीय विद्यालय में)।

चयन परीक्षा प्रारूप –

- प्रथम चयन परीक्षा निम्न प्रश्न पत्रों पर आधारित –
 1. मानसिक योग्यता परीक्षण (**Mental Ability Test**) – शाब्दिक एवं अशाब्दिक तर्क शक्ति, संज्ञानात्मक क्षमता पर आधारित 100 बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न।
 2. शैक्षिक अभिक्षमता परीक्षण (**Scholastic Aptitude Test**) – इसके अंतर्गत गणित – 20 प्रश्न, विज्ञान – 40 प्रश्न (भौतिक, रसायन एवं जीव विज्ञान) तथा सामाजिक विज्ञान – 40 प्रश्न (भूगोल, राजशास्त्र, इतिहास एवं अर्थशास्त्र) विषयों पर आधारित कुल 100 बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न।
- प्रश्नों का स्वरूप – बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा प्रत्येक सही उत्तर पर 1 अंक।
- प्रश्नपत्रों का स्तर –
 - ✓ एन०टी०एस० के लिए कक्षा 09 एवं 10 की परीक्षा के समान।
 - ✓ एन०एम०एस०एस०, डॉ० एस०एन०एन०एस०एस० एवं राज्य योग्यता (श्रीदेव सुमन) परीक्षा के लिए कक्षा 07 एवं 08 की परीक्षा के समान।
- उत्तर पत्रक के रूप में ओ०एम०आर० शीट का प्रयोग।

मानसिक एवं शैक्षिक योग्यता परीक्षण में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रवीणता सूची (*Merit List*) तैयार की जाती है। एन०टी०एस० परीक्षा में मानसिक एवं शैक्षिक योग्यता परीक्षण में पृथक–पृथक 40% (आरक्षित वर्ग लिए 32% अंक) प्राप्त करना आवश्यक है। एन०एम०एम०एस०, डॉ० एस०एन०एन०एस०एस० एवं राज्य योग्यता (श्रीदेव सुमन) परीक्षा में कुल मिलाकर 40% (आरक्षित वर्ग लिए 32% अंक) प्राप्त करना आवश्यक है।

- महत्वपूर्ण बिन्दु –
 - ❖ राष्ट्रीय प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति योजना (NTS) के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप अलग है।
 - ❖ राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति योजना (NMMSS) तथा डॉ० शिवानन्द नौटियाल (Dr.SNNSS) एवं राज्य योग्यता (श्रीदेव सुमन) छात्रवृत्ति योजना (SMSS {Sridev Suman}) परीक्षाओं के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप एक समान है।
 - ❖ भरे हुए आवेदन पत्र NCERT नई दिल्ली अथवा SCERT उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय में कदापि न भेजें। इन कार्यालयों में सीधे प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
 - ❖ विस्तृत जानकारी के लिए किसी भी कार्य दिवस में SCERT उत्तराखण्ड, देहरादून से सम्पर्क कर सकते हैं।

उक्त छात्रवृत्तियों के सन्दर्भ में निम्न से विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं –

- विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से।
- जनपद में स्थित मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय से।
- एस०सी०ई०आर०टी० उत्तराखण्ड, देहरादून।



दायित्व एवं अपेक्षाएँ

मुख्य शिक्षा अधिकारी:

- छात्रवृत्ति परीक्षाओं के प्रचार-प्रसार एवं सफल संचालन हेतु विभिन्न अभिकर्मियों को निर्देशित करना। परीक्षा संबंधी समस्त तैयारियों की समय-समय पर समीक्षा करना व निर्धारित तिथि में परीक्षा सम्पन्न करवाना।
- जनपद स्तरीय बैठकों में प्रधानाचार्यों को इन परीक्षाओं के विषय में जागरूक करना, तथा नामांकन बढ़ाए जाने हेतु प्रयास करना।

जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक / बेसिक):

- मुख्य शिक्षा अधिकारी के दिशा-निर्देशन में परीक्षा सम्बन्धी समस्त गतिविधियों का संचालन।
- जनपद स्तरीय बैठकों में प्रधानाचार्यों को इन परीक्षाओं के विषय में जागरूक करना तथा नामांकन बढ़ाए जाने हेतु प्रयास करना।

प्राचार्य डायट:

- छात्रवृत्ति से संबंधित प्रश्नपत्रों की तैयारी हेतु विद्यालयों को अकादमिक अनुसमर्थन प्रदान करना।

खण्ड शिक्षा अधिकारी:

- आवेदन पत्रों का वितरण व समीक्षा। परीक्षा में सम्मिलित होने वाले बच्चों का डाटाबेस/नामावली अनिवार्यतः SCERT द्वारा निर्धारित प्रारूप पर तैयार करवाना।

उप शिक्षा अधिकारी:

- विद्यालय स्तर पर परीक्षा संबंधी तैयारी की समीक्षा करना व अकादमिक सहयोग प्रदान करना।

प्रधानाचार्य:

- छात्रवृत्ति परीक्षाओं में विद्यार्थियों की अधिक से अधिक प्रतिभागिता सुनिश्चित करना। छात्रवृत्ति परीक्षाओं के विषय में जानकारी व विभिन्न प्रश्नपत्रों की तैयारी हेतु विषयगत शिक्षकों के माध्यम से तैयारी करवाना।

शिक्षक:

- विषयाध्यापक संबंधित विषय का अभ्यास उक्त छात्रवृत्ति के सैम्प्ल पेपर के माध्यम से कम से कम सप्ताह में दो बार कराना सुनिश्चित करें।

छात्रवृत्ति का प्रारूप :

- **तैयारी कैसे करें :-** विद्यालय सप्ताह में एक वादन छात्रवृत्ति परीक्षा तैयारी हेतु संचालित करें जिसमें बच्चों को अभ्यासात्मक शिक्षण कराया जाए।

- इस वर्ष 10 प्रतिशत नामांकन बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित है। अतः खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी, मुख्य शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी इस हेतु अतिरिक्त प्रयास करेंगे।
- एन.एम.एस.एस.छात्रवृत्ति परीक्षा में चयन के उपरान्त उत्तीर्ण परीक्षार्थी को अपना पंजीकरण नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर स्वयं करवाना अनिवार्य होगा। तदुपरान्त विद्यालय द्वारा पोर्टल पर सत्यापन कार्य किया जाएगा।

- छात्रवृत्ति हेतु सम्मिलित चयन परीक्षा 2019 हेतु महत्वपूर्ण तिथियाँ
 - परीक्षा आयोजन की तिथि – 03 नवम्बर, 2019